



मॉडर्न इंगलिश स्कूल, नवादा

सी०. बी०. एस०. ई०., नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त

अभिभावकों के लिए निर्देश

- विद्यालय द्वारा प्रदत्त रूटीन के अनुसार अगर आपके पाल्य/पाल्या घर में कार्य नहीं करें तब आप विद्यालय-प्रधान को अवश्य सूचित करें।
- प्रत्येक माह में एक या दो बार विद्यालय आकर संचालक, प्राचार्य या वर्ग शिक्षक से अपने पाल्य/पाल्या के क्रिया-कलापों की चर्चा करें।
- डायरी के अनुसार गृहकार्य पूरा करवाकर उस पर हस्ताक्षर अवश्य करें। • स्वाध्याय शिक्षा का आधार है इसलिए अपने पाल्य/पाल्या को चार से पाँच घंटे स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करें • किसी भी तरह की शिकायत आप स्वयं विद्यालय आकर करें। बच्चों के सामने शिक्षकों या शिक्षिकाओं की शिकायत करना उचित नहीं है। • विद्यालय आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने हेतु कृतसंकल्प है। आप भी इसमें सहयोग करें। • विद्यालय से संबंधित सभी क्रिया-कलापों का गंभीरता से पालन करें। • अपने पाल्य-पाल्या को लंच देकर ही स्कूल भेजें, बाद में भेजना निषेध है। • स्कूल आने के बाद विशेष परिस्थिति को छोड़कर छुट्टी लेने हेतु बाध्य न करें। • बीमारी की अवस्था को छोड़कर अन्य किसी कारण से विद्यालय से अनुपस्थित होने से पहले छुट्टी स्वीकृत करवा लें। बीमारी के दो से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहने पर 'डॉक्टर रिपोर्ट' आवेदन के साथ अवश्य भेजें। • अस्वस्थ अवस्था में बच्चों को विद्यालय न भेजें एवं इसकी जानकारी विद्यालय-प्रधान को दें। • अपने संतान की गंदी हरकतों से विद्यालय-प्रधान को अवगत कराना न भूलें। • हर समय सचेत रहकर बच्चों की पढ़ाई पर कड़ी नजर रखें। • अपने घर का वातावरण ठीक रखते हुए शुद्ध हिन्दी या अंग्रेजी का व्यवहार करें। • अपने घर पर अनावश्यक टेलीविजन न चलाएँ। • समय अनमोल धन है इसलिए अपने पाल्य/पाल्या को प्रतिदिन समय पर स्कूल भेजने का प्रयास करें। अपने पाल्य/पाल्या को स्वच्छ एवं निर्धारित पोशाक में ही विद्यालय भेजें। • प्रत्येक दिन स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दें एवं विद्यार्थी से पूछताछ करें। • समय पर शिक्षण शुल्क जमा करें, ऐसा नहीं करने से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण शुल्क चार किस्तों में देने का प्रावधान है। • प्रथम किस्त 20 अप्रैल तक (अप्रैल, मई, जून) दूसरी किस्त 10 जुलाई तक (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) तीसरी किस्त 10 अक्टूबर तक (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर) एवं चौथी किस्त 10 जनवरी तक (जनवरी, फरवरी, मार्च)। निर्धारित तिथि पर शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर 100 रु० अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। • परीक्षा-फल पर कड़ी नजर रखें और संतुष्टि न होने पर कार्यालय आकर प्रधान या वर्ग शिक्षक से मिलकर कारण जानने की कोशिश करें। • बच्चों की शिक्षण समाग्री की कमी को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करें एवं पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच करें। • गृहकार्य पूरा करने के बाद शेष समय में पुनरावृत्ति कराएं। • स्वास्थ्य ही धन है; इसलिए विद्यार्थियों को संतुलित आहार देने की कोशिश करें एवं उसकी दैनिक क्रिया पर ध्यान दें। • पढ़ाई-लिखाई (अध्ययन-अध्यापन) संबंधी शिकायत यदि हो तो अविलम्ब प्रधान को सूचित करें एवं 'अभिभावक-शिक्षक बैठक' में आना न भूलें। • हम आपके सुझावों का सदा स्वागत करते हैं। अतः सलाह देने में संकोच न करें। • अपने पाल्य/पाल्या को वर्ग में शिक्षक से बेझिझक पूछने के लिए प्रेरित करें।

विद्यार्थियों के लिए दैनिक कार्यक्रम

दिवा कालीन

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. जागने का समय | प्रातः 5:00 बजे तक |
| 2. प्रातः कालीन स्वाध्याय का समय : | जागने से 6:30 बजे तक |
| 3. स्कूल की तैयारी | प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक |
| 4. स्कूल पहुंचने का समय | 7:40 बजे तक |
| 5. विद्यालयीय अवधि | 8 बजे से 1:30 बजे तक |
| 6. गृहागमन समय | 2 बजे तक (सुविधानुसार) |
| 7. भोजन एवं मनोरंजन | 2 से 3 बजे तक |
| 8. घर में (आवासीय) स्वाध्याय | 3 बजे से 5 बजे तक |
| 9. मनोरंजन एवं खेलकूद | 5 से 6 बजे तक |
| 10. संध्याकालीन स्वाध्याय | शाम 6 बजे से 9 बजे तक |
| 11. भोजन एवं मनोरंजन | रात्रि 9 बजे |

प्रातः कालीन

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. जागने का समय | प्रातः 5:00 बजे तक |
| 2. प्रातः कालीन स्वाध्याय का समय : | जागने से 5:30 बजे तक |
| 3. स्कूल की तैयारी | प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक |
| 4. स्कूल पहुंचने का समय | 6:40 बजे तक |
| 5. विद्यालयीय अवधि | 7 बजे से 12:30 बजे तक |
| 6. गृहागमन समय | 12:30 बजे से 2 बजे तक |
| 7. भोजन एवं मनोरंजन | 2 से 3 बजे तक |
| 8. घर में (आवासीय) स्वाध्याय | 3 बजे से 5:30 बजे तक |
| 9. मनोरंजन एवं खेलकूद | 5:30 से 6:30 बजे तक |
| 10. संध्याकालीन स्वाध्याय | शाम 6:30 बजे से 9 बजे तक |
| 11. भोजन एवं मनोरंजन | रात्रि 9 बजे |

नोट:- अभिभावक महोदय अपनी सुविधानुसार जरूरत पड़ने पर दैनिक कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं।